



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1212]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 6, 2014/ज्येष्ठ 16, 1936

No. 1212]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 6, 2014/JYAISTHA 16, 1936

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जून, 2014

(आयकर)

का.आ. 1458(अ).—जबकि, कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लिचट्टेस्टिन प्रिंसिपैलिटी की सरकार के बीच एक करार (इसके पश्चात् इसे करार कहा जायेगा) पर 28 मार्च, 2013 को बर्न, स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर किए गए थे;

2. और जबकि, उक्त करार को लागू करने की तारीख 20 जनवरी, 2014 है, जो उक्त करार के अनुच्छेद 11 के पैरा 1 के अनुसार उक्त करार को लागू करने के लिए संबंधित कानूनों के तहत यथा अपेक्षित प्रक्रियाएं पूरी करने संबंधी अधिसूचनाओं में से बाद की अधिसूचना प्राप्ति की संगत तारीख से एक माह है;

3. और जबकि, उक्त करार के अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के अनुसार उक्त करार 01 अप्रैल, 2013 अथवा उसके बाद प्रारम्भ होने वाली करदेय अवधि के संबंध में सभी अनुरोधों पर लागू होगा।

4. इसलिए अब, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश देती है कि कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान के लिए भारत गणराज्य की सरकार और लिचट्टेस्टिन प्रिंसिपैलिटी की सरकार के बीच उक्त करार जोकि इसके साथ संलग्न अनुबंध में निर्दिष्ट है, 01 अप्रैल, 2013 को अथवा इसके बाद प्रारम्भ होने वाली करदेय अवधियों के संबंध में किए गए सभी अनुरोधों पर लागू होगा।

[अधिसूचना सं. 30/2014/ फा.सं. 503/4/2009-एफटीडी-1]

अखिलेश रंजन, संयुक्त सचिव

**कर मामलों पर सूचना के आदान-प्रदान हेतु
भारत गणराज्य की सरकार
और
लिचटेंस्टिन राज्य की सरकार
के बीच करार**

भारत गणराज्य की सरकार और लिचटेंस्टिन राज्य की सरकार करों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान को सुगम एवं सुकर बनाने की इच्छा से निम्नानुसार सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद - 1

करार का उद्देश्य एवं कार्य-क्षेत्र

संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी सूचना के आदान-प्रदान के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएंगे, जो कि इस करार के अंतर्गत आने वाले करों के संबंध में संविदाकारी पक्षों के घरेलू कानूनों के प्रशासन एवं प्रवर्तन हेतु प्रत्याशित रूप से सुसंगत हैं। ऐसी सूचना में वह जानकारी शामिल होगी जो ऐसे करों के निर्धारण, मूल्यांकन और वसूली, कर दावों की वसूली और प्रवर्तन अथवा ऐसे व्यक्तियों के बारे में कर मामलों की जांच-पड़ताल या अभियोजन के लिए प्रत्याशित रूप से सुसंगत है। इस करार के उपबंधों के अनुसार सूचना का आदान-प्रदान किया जाएगा और अनुच्छेद 8 में दिए गए तरीके से इसको गोपनीय माना जाएगा। अनुरोधित पक्ष के कानूनों अथवा प्रशासनिक प्रथा द्वारा व्यक्तियों को प्राप्त कराए गए अधिकार और रक्षोपाय उस सीमा तक प्रयोज्य रहेंगे जहां तक कि वे सूचना के प्रभावी आदान-प्रदान में अनुचित रूप से बाधा न डाले अथवा उसे विलम्बित न करें।

अनुच्छेद - 2

क्षेत्राधिकार

अनुरोधित पक्ष ऐसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य नहीं है जो न तो उसके प्राधिकारियों के पास है और न ही उन व्यक्तियों के पास अथवा नियंत्रण में है, जो उसके राज्य-क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में हैं।

अनुच्छेद 3

सम्मिलित कर

1. यह करार संविदाकारी पक्षों में लगाये गये प्रत्येक किस्म एवं विवरण के करों पर लागू होगा।
2. यह करार, विद्यमान करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर इस करार के हस्ताक्षरित होने की तारीख के बाद लगाए गए पर्याप्त रूप से इसी प्रकार के करों पर भी लागू होगा। करों पर भी लागू होगी। संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार द्वारा सम्मिलित करों और संबंधित सूचना एकत्र करने वाले उपायों के संबंध में किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों के बारे में एक-दूसरे को अधिसूचित करेंगे।

अनुच्छेद - 4

परिभाषाएं

1. इस करार के प्रयोजनार्थ, जब तक कि अन्यथा परिभाषित न किया जाए :
 - क) "भारत" से तात्पर्य भारत का भू-क्षेत्र और इसमें सीमांतर्गत समुद्र और उसके ऊपर का हवाई क्षेत्र तथा कोई अन्य समुद्रवर्ती क्षेत्र है जिस पर भारतीय कानून के अनुसार तथा समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र के अभिसमय सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार भारत का प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार और क्षेत्राधिकार हैं;
 - ख) "लिचटेंस्टिन राज्य" पद से तात्पर्य लिचटेंस्टिन राज्य के सार्वभौमिक भू-भाग के क्षेत्र से है, जब इसे भौगोलिक परिदृश्य में प्रयोग किया जाता है।
 - ग) पद "संविदाकारी पक्ष" से तात्पर्य भारत अथवा लिचटेंस्टिन राज्य, जैसा भी संदर्भ अपेक्षित हो; से है;
 - घ) "सक्षम प्राधिकारी" से तात्पर्य -
 - (i) भारत के मामले में, वित्त मंत्री, भारत सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;
 - (ii) लिचटेंस्टिन राज्य के मामले में, लिचटेंस्टिन राज्य की सरकार अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि हैं;
 - ड.) "व्यक्ति" में कोई व्यक्ति, कोई कम्पनी, निष्क्रिय विरासत तथा व्यक्तियों का कोई अन्य निकाय शामिल है;
 - च) "कम्पनी" से तात्पर्य किसी निगमित निकाय के साथ-साथ सत्ता तथा विशेष संपत्ति दान से है जिसे कर प्रयोजनों के लिए एक निगमित निकाय माना जाता है;

छ) “सार्वजनिक रूप से व्यापार करने वाली कम्पनी” से तात्पर्य ऐसी किसी कम्पनी से है जिसके शेयरों का प्रमुख वर्ग किसी मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है बशर्ते उसके सूचीबद्ध शेयर सहज ही जनता द्वारा क्रय अथवा विक्रय किए जा सकते हों। शेयर “जनता द्वारा” क्रय अथवा विक्रय तभी किए जा सकते हैं यदि शेयरों का यह क्रय अथवा विक्रय प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ज) “शेयरों का प्रमुख वर्ग” से तात्पर्य वोट देने की शक्ति और कम्पनी की सांविधिक पूंजी के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरों के वर्ग अथवा वर्गों से है;

झ) “मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज” से तात्पर्य है :

(i) भारत में, भारत के प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज और कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज;

(ii) लिचटेंस्टिन के लिए, कोई भी स्टॉक एक्सचेंज, जो यूरोपियन पार्लियामेंट के डायरेक्टिव 2004/39/ईसी के अनुच्छेद 4 और 21 अप्रैल, 2004 की काउंसिल की सामग्री जरूरतों को पूरा करती है; तथा

(iii) कोई अन्य स्टॉक एक्सचेंज, जिसे सक्षम प्राधिकारी इस करार के प्रयोजनार्थ मान्यता देने के लिए सहमत हों;

ञ) “सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना” से तात्पर्य सामूहिक निवेश के साधन से है, चाहे उसका कानूनी रूप कुछ भी हो;

ट) “सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना” से तात्पर्य किसी सामूहिक निवेश निधि अथवा योजना से है बशर्ते कि ऐसी निधि अथवा योजना में यूनितों, शेयरों अथवा अन्य हितों को जनता द्वारा सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। निधि अथवा योजना में यूनितों, शेयरों अथवा अन्य हितों को “जनता द्वारा” सहज ही खरीदा, बेचा अथवा पुनः प्राप्त किया जा सकता है यदि ऐसी खरीद, बिक्री अथवा पुनः प्राप्ति प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः निवेशकों के सीमित समूह तक ही प्रतिबंधित न हों;

ठ) “कर” से तात्पर्य ऐसा कर है, जिस पर यह करार लागू होता है;

ड) “अनुरोध करने वाले पक्ष” से तात्पर्य, सूचना का अनुरोध करने वाले संविदाकारी पक्ष से है।

ढ) “अनुरोधित पक्ष” से तात्पर्य उस संविदाकारी पक्ष से है जिससे सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

ण) “सूचना एकत्र करने वाले उपाय” से तात्पर्य कानूनी और प्रशासनिक अथवा न्यायिक कार्य प्रक्रियाओं से है जो किसी संविदाकारी पक्ष को अनुरोध की गई जानकारी प्राप्त करने और उपलब्ध कराने में सक्षम बनाते हैं;

त) “सूचना” से तात्पर्य कोई तथ्य, विवरण, दस्तावेज अथवा रिकार्ड से है, चाहे वह किसी भी रूप में हो;

2. जहां तक किसी संविदाकारी पक्ष द्वारा किसी भी समय इस करार को लागू किए जाने का संबंध है, इसमें परिभाषित न किए गए किसी पद का, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अथवा सक्षम प्राधिकारी इस करार के अनुच्छेद-10 के उपबंधों के अनुसरण में किसी आम अर्थ पर सहमत न हो, वही अर्थ होगा जो उस पक्ष के कानून के तहत उस समय हो, उस पक्ष के प्रयोज्य कर कानूनों के अंतर्गत कोई अर्थ उस पक्ष के अन्य कानूनों के तहत पद को दिए गए अर्थ की तुलना में अभिभावी रहता है।

अनुच्छेद - 5

अनुरोध पर सूचना का आदान-प्रदान

1. अनुरोध किए जाने पर अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुच्छेद-1 में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए सूचना उपलब्ध कराएगा। ऐसी सूचना का आदान-प्रदान इस बात का विचार किए बिना किया जाएगा कि क्या अनुरोध करने वाले पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए है अथवा क्या वह आचरण जिसकी जांच-पड़ताल की जा रही है, वह अनुरोधित पक्ष के अंतर्गत अपराध होगा यदि ऐसा आचरण अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार में घटित होता।

2. यदि अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के आधिपत्य में कोई सूचना पर्याप्त रूप से इस प्रकार उपलब्ध नहीं है कि वह सूचना के लिए किए गए अनुरोध को पूरा करने में समर्थ हो तो वह पक्ष, अनुरोध करने वाले पक्ष को अनुरोधित सूचना को उपलब्ध कराने के लिए सभी प्रासंगिक सूचना एकत्र करने के उपायों का प्रयोग करेगा इस बात के होते हुए भी कि अनुरोधित पक्ष को ऐसी सूचना की आवश्यकता अपने स्वयं के कर-प्रयोजनों के लिए नहीं भी हो सकती है।

3. यदि अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से अनुरोध किया जाता है तो अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी गवाहों के अभिसाक्ष्य तथा मूल रिकार्डों की अधिप्रमाणित प्रतियों के रूप में अपने घरेलू कानूनों के तहत अनुज्ञेय सीमा तक, इस अनुच्छेद के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराएगा।

4. प्रत्येक संविदाकारी पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके सक्षम प्राधिकारी को, इस करार के प्रयोजनार्थ अनुरोध पर निम्नलिखित को प्राप्त करने और उपलब्ध कराने का प्राधिकार है :

क) बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थानों, किसी एजेंसी अथवा न्यासी क्षमता में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति, जिसमें नामित व्यक्ति और न्यासी भी शामिल है, द्वारा धारित कोई सूचना;

ख) कंपनियों के स्वामित्व, भागीदारी, सामूहिक निवेश निधियाँ अथवा स्कीमें, न्यास, फाउंडेशन, और अन्य व्यक्ति, संबंधी सूचना जिनमें अनुच्छेद-2 की सीमाओं के अंतर्गत किसी स्वामित्व श्रृंखला में सभी ऐसे व्यक्तियों की स्वामित्व सूचना; सामूहिक निवेश निधियों अथवा स्कीमों के मामले में, शेयरों, यूनिटों और अन्य हितों के बारे में सूचना; न्यासों के मामले में अवस्थापक, संरक्षकों न्यासियों और लाभभोगियों के संबंध में सूचना, संस्था के मामले में संस्थापकों, संस्था परिषद के सदस्यों और लाभग्राहियों के बारे में सूचना। इसके अलावा, यह करार संविदाकारी पक्षों पर सार्वजनिक व्यापार वाली कंपनियों या सार्वजनिक सामूहिक निवेश निधियों या योजनाओं की स्वामित्व संबंधी सूचनाएं प्राप्त करने या उपलब्ध कराने की बाध्यता नहीं डालता, जब तक कि ऐसी सूचनाएं बिना गैर-समानुपातिक कठिनाई उत्पन्न किए प्राप्त की जा सकती हों।

5. अनुरोध करने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी अनुरोध के लिए सूचना की प्रत्याशित प्रासंगिकता का प्रदर्शन करने के लिए करार के तहत सूचना के लिए अनुरोध करते समय अनुरोध किए जाने वाले पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित सूचना लिखित में उपलब्ध कराएंगे :

क) जांच अथवा पूछताछ किए जाने वाले व्यक्ति की पहचान;

ख) वह कराधेय अवधि, जिसके लिए सूचना का अनुरोध किया गया है;

ग) अनुरोध की गई सूचना का स्वरूप तथा वह प्रारूप जिसमें अनुरोध करने वाला पक्ष उसे अनुरोधित पक्ष से प्राप्त करना चाहता है;

घ) कर प्रयोजन जिसके लिए सूचना मांगी गई है;

ड.) यह विश्वास करने का आधार कि अनुरोध की गई सूचना उप पैराग्राफ (क) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के बारे में आवेदन पक्ष के घरेलू कर कानूनों के प्रशासन तथा प्रवर्तन के साथ प्रत्याशित रूप से सुसंगत है;

च) यह विश्वास करने का आधार कि अनुरोध की गई सूचना अनुरोधित पक्ष के पास है अथवा अनुरोधित पक्ष के क्षेत्राधिकार के भीतर किसी व्यक्ति के अधिकार अथवा नियंत्रण में है;

छ) जहां तक ज्ञात हो किसी व्यक्ति का नाम और पता, जिसके पास अनुरोधित सूचना होने अथवा उसके नियंत्रण में होने का अनुमान है; और

ज) यह बताते हुए एक विवरण कि यह अनुरोध, अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों और प्रशासनिक पद्धतियों के अनुरूप है, और यह कि यदि अनुरोधित सूचना अनुरोधकर्ता पक्ष के क्षेत्राधिकार में थी तो अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोधकर्ता पक्ष के कानूनों के तहत अथवा प्रशासनिक पद्धति की सामान्य प्रक्रिया के तहत सूचना प्राप्त करने में सक्षम होगा और यह कि यह इस करार के अनुरूप है;

झ) यह विवरण कि अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने स्वयं के राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधन अपनाए हैं, सिवाए उनके, जो अत्यधिक कठिनाईयों को बढ़ाएंगे।

6. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी शीघ्रातिशीघ्र अनुरोधित सूचना को अनुरोधकर्ता पक्ष को अग्रेषित करेगा। शीघ्र प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा :

क) अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को लिखित में अनुरोध प्राप्ति की पुष्टि करेगा तथा अनुरोध की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर अनुरोध में कमियों के बारे में, यदि कोई हों, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा;

ख) यदि अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी अनुरोध की प्राप्ति के 90 दिनों के भीतर सूचना को प्राप्त करने एवं प्रदान करने में असमर्थ होता है, जिसमें सूचना को प्रस्तुत करने में पेश आई बाधाएं शामिल हैं अथवा वह सूचना प्रदान करने से इंकार करता है तो वह तत्काल अपनी समर्थता, बाधाओं के स्वरूप अथवा अपनी अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुरोधकर्ता पक्ष को सूचित करेगा।

अनुच्छेद - 6

विदेश में कर जांच

1. पहले से ही यथोचित नोटिस देकर, आवेदक पक्ष अनुरोध कर सकता है कि अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अपने अन्तर्देशीय कानूनों के तहत अनुमत्य सीमा तक, व्यक्तियों अथवा अन्य संबंधित व्यक्तियों की पूर्व लिखित सहमति से व्यक्तियों के साक्षात्कार हेतु और रिकार्डों की जांच करने के लिए अनुरोधित पक्ष के राज्यक्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दे। अनुरोधकर्ता पक्ष का सक्षम प्राधिकारी, संबंधित व्यक्तियों के साथ अभिप्रेत बैठक के समय एवं स्थान के बारे में अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को अधिसूचित करेगा।

2. अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के अनुरोध पर, अनुरोधित पक्ष, अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधियों को अनुरोधित पक्ष में कर जांच के उपयुक्त भाग में प्रस्तुत रहने की अनुमति दे सकता है।

3. यदि पैराग्राफ 2 में संदर्भित अनुरोध को स्वीकार कर लिया जाता है तो अनुरोधित पक्ष के जांच कर रहे सक्षम प्राधिकारी, जांच के संबंध में समय एवं स्थान, जांच करने के लिए प्राधिकारी अथवा नामोदित अधिकारी तथा जांच कार्य आरंभ करने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा अपेक्षित शर्तों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अनुरोधकर्ता पक्ष के सक्षम प्राधिकारी को शीघ्रातिशीघ्र अधिसूचित करेगा। कर जांच करने के संबंध में सभी निर्णय जांच संचालित करने वाले अनुरोधित पक्ष द्वारा किए जाएंगे।

अनुच्छेद - 7

सूचना हेतु अनुरोध को अस्वीकार करने की संभावना

1. अनुरोधित पक्ष का सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में सहायता करने के लिए मना कर सकता है :

क) जहां अनुरोध इस करार के अनुरूप नहीं किया गया हो; विशेषकर जहां अनुच्छेद-5 की जरूरतें पूरी नहीं की गई हों; अथवा

ख) जहां अनुरोधकर्ता पक्ष ने सूचना को प्राप्त करने के लिए अपने राज्यक्षेत्र में उपलब्ध सभी साधनों का अनुप्रयोग नहीं किया हो, सिवाय उनके जहां ऐसे साधनों का आश्रय लेने से अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होगी; अथवा

ग) जहां सूचना का प्रकटन अनुरोधित पक्ष की लोक नीति (ऑर्डर पब्लिक) के प्रतिकूल होगा।

2. यह करार किसी संविदाकारी पक्ष पर निम्नलिखित बाध्यता को अधिरोपित नहीं करेगा :

i) ऐसी सूचना देना जो कानूनी सुविधा, किसी व्यापारिक, कारोबारी, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा व्यावसायिक गोपनीयता अथवा व्यापार प्रक्रिया को प्रकट करेगी, बशर्ते कि अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 4 में वर्णित सूचना को सिर्फ इस तथ्य के कारण गुप्त अथवा व्यापार प्रक्रिया के रूप में नहीं समझा जाएगा; अथवा

ii) अपने कानूनों तथा प्रशासनिक पद्धतियों की भिन्नता में प्रशासनिक उपाय करना बशर्ते इस उप पैराग्राफ में कुछ भी अनुच्छेद-5 के पैराग्राफ-4 के अन्तर्गत संविदाकारी पक्ष के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा।

3. सूचना हेतु अनुरोध को इस आधार पर मना नहीं किया जाएगा कि कर दावा जिसके कारण अनुरोध किया गया है, विवादित है।

4. अनुरोधित पक्ष से उस सूचना को प्राप्त करने अथवा प्रदान करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी जिसे अनुरोधकर्ता पक्ष इस करार के अंतर्गत अनुरोधित पक्ष से अपने स्वयं के कानूनों के तहत इसी तरह की परिस्थितियों में प्राप्त करने के लिए असमर्थ होगा।

5. अनुरोधित पक्ष सूचना हेतु अनुरोध को उस स्थिति में इंकार कर सकता है यदि सूचना के लिए अनुरोध आवेदन पक्ष द्वारा आवेदन पक्ष के कर कानून के ऐसे उपबंध को अथवा उससे जुड़े किसी अपेक्षा को संचालित अथवा लागू करने के लिए किया जाता है, जो अनुरोधित पक्ष के राष्ट्रिक के प्रति उन्हीं परिस्थितियों में आवेदक पक्ष के एक राष्ट्रिक की तुलना में पक्षपात करता है।

अनुच्छेद - 8

गोपनीयता

1. संविदाकारी पक्ष के सक्षम प्राधिकारियों द्वारा प्रदान की गई तथा प्राप्त की गई सभी सूचना गोपनीय रखी जायेगी।

2. इस सूचना को अनुच्छेद-1 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के साथ संबंधित संविदाकारी पक्षों के व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (न्यायालयों तथा प्रशासनिक निकायों सहित) को ही प्रकट किया जायेगा और ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों द्वारा केवल ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जायेगा। इन प्रयोजनों के लिए सूचना को सार्वजनिक न्यायालय प्रक्रियाओं अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रयोग किया जा सकता है।

3. ऐसी सूचना को अनुरोधित पक्ष के सक्षम प्राधिकारी की लिखित सहमति व्यक्त किये बिना अनुच्छेद-1 में बताये गये प्रयोजन के अलावा दूसरे प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

4. इस करार के अन्तर्गत प्राप्त की गई सूचना को ऐसे किसी दूसरे राज्य अथवा प्रभुसत्ता संपन्न प्रदेश को प्रकट नहीं किया जा सकता जो इस करार के पक्ष नहीं है।

5. इस करार के उपबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक सीमा तक और आपूर्तिकर्ता पक्ष के कानून के उपबंधों के अध्यक्षीन वैयक्तिक आंकड़े संप्रेषित किये जा सकते हैं।

6. इस करार के अन्तर्गत सहायता के लिए अनुरोध के संयोजन में अनुरोधित पक्ष द्वारा प्राप्त की गई सूचना को अनुरोधित पक्ष में उसी तरह गोपनीय माना जायेगा।

अनुच्छेद - 9

लागतें

1. जब तक कि संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हों, सहयोग देने में उपगत सामान्य लागतों को अनुरोधित पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा और इस अनुच्छेद के उपबंधों के अध्यक्षीन, सहयोग देने में उपगत असाधारण लागतों को, यदि वे 500 डालर से अधिक हो जाती हैं, अनुरोधकर्ता पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा।

2. किसी विशिष्ट मामले में, जहां असाधारण लागतों की 500 डालर से अधिक होने की संभावना हो, सक्षम प्राधिकारी, पहले ही, यह निर्धारित करने के लिए एक-दूसरे से विचार-विमर्श करेंगे कि क्या अनुरोधकर्ता पक्ष अनुरोध की पैरवी जारी रखेगा और लागत को वहन करेगा।
3. सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के संबंध में समय-समय पर परामर्श करेंगे।
4. सामान्य लागतों में आंतरिक प्रशासनिक लागतें, कुछ गौण बाह्य लागतें और अतिरिक्त व्यय शामिल हैं जो अनुरोधित पक्ष द्वारा प्रस्तुत सूचना हेतु अनुरोधों की समीक्षा करने और उनका उत्तर देने के लिए अनुरोधित पक्ष द्वारा उपगत की गई हैं :
 - क) अनुरोधित पक्ष की ओर से दस्तावेजों के प्रतिलिपिकरण हेतु तीसरे पक्षों द्वारा प्रभारित उचित शुल्क;
 - ख) व्याख्याताओं, अनुवादकों अथवा अन्य मान्य विशेषज्ञों को रखने के लिए उपयुक्त लागतें;
 - ग) अनुरोधकर्ता पक्ष को दस्तावेज देने के लिए उपयुक्त लागतें;
 - घ) सूचना हेतु एक विशिष्ट अनुरोध के संबंध में अनुरोधित पक्ष की मुकदमेबाजी संबंधी उपयुक्त लागतें; और
 - ड.) बयान अथवा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए उपयुक्त लागतें।

अनुच्छेद - 10

पारस्परिक करार विधि

1. जहां संविदाकारी पक्षों के बीच करार को लागू करने अथवा उसकी व्याख्या करने के संबंध में कठिनाइयाँ अथवा संदेह उत्पन्न होते हैं वहां सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति से मामले को हल करने का प्रयास करेंगे।
2. इसके अतिरिक्त संविदाकारी पक्षों के 2 पैराग्राफ-1 में संदर्भित करारों के अलावा संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस करार के तहत प्रयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं पर पारस्परिक रूप से सहमत होंगे।
3. संविदाकारी पक्षों के सक्षम प्राधिकारी इस अनुच्छेद के अंतर्गत करार करने के प्रयोजनार्थ एक-दूसरे से सीधे ही बातचीत कर सकते हैं।
4. संविदाकारी पक्ष विवाद समाधान के दूसरे प्रारूपों पर भी सहमत हो सकते हैं।

अनुच्छेद - 11

प्रवृत्त होना

1. यह करार उस तिथि से एक माह में लागू होगा जिस तिथि को संविदाकारी पक्षों ने एक दूसरे को अधिसूचित किया है कि इस करार के प्रवृत्तन के लिए अपनी-अपनी जरूरतों को पूरा कर लिया है। संगत तिथि वह होगी जिस तिथि को अंतिम अधिसूचना प्राप्त हुई है।
2. लागू हो जाने की तिथि पर यह करार किये गये सभी अनुरोधों पर प्रभावी होगा परन्तु केवल 01 अप्रैल, 2013 को अथवा इसके बाद शुरू होने वाले कराधेय अवधि के लिए।

अनुच्छेद - 12

समापन

1. यह करार तब तक लागू रहेगा जब तक कि दोनों में से कोई एक संविदाकारी पक्ष इसे समाप्त नहीं कर देता है।
2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी पक्ष राजनयिक माध्यमों के जरिए दूसरे संविदाकारी पक्ष को समापन की एक लिखित सूचना भेज कर करार को समाप्त कर सकता है।
3. इस तरह का समापन, दूसरे संविदाकारी पक्ष द्वारा समापन के नोटिस की प्राप्ति की तारीख के बाद छह महीने की अवधि की समाप्ति के अनुवर्ती माह के प्रथम दिन को प्रभावी होगा। समापन की प्रभावी तारीख तक प्राप्त किए गए सभी अनुरोधों पर करार के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
4. इस करार के समापन के बाद दोनों संविदाकारी पक्ष इस करार के अन्तर्गत प्रदान की गई अथवा प्राप्त की गई किसी सूचना के बारे में अनुच्छेद-8 के उपबंधों द्वारा बाध्य रहेंगे।

जिसके साक्ष्य में, इसके लिए विधिवत रूप से प्राधिकृत अधोहस्ताक्षरियों ने इस करार पर हस्ताक्षर किए हैं।

में वर्ष दो हजार तेरह के 3 माह के 28 दिन प्रत्येक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में निष्पन्न किया गया है, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। अर्थ निरूपण में भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ प्रभावी माना जाएगा।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से

लिचटेंस्टिन राज्य सरकार की
सरकार की ओर से

सुश्री चित्रा नारायणन
स्विट्जरलैंड में भारत के राजदूत

हस्ताक्षर
स्विट्जरलैंड में लिचटेंस्टिन के राजदूत

प्रोतोकाल**कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान पर भारत सरकार और लिचटेंस्टिन राज्य की सरकार के बीच करार का प्रोतोकाल**

कर मामलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान पर लिचटेंस्टिन राज्य की सरकार और भारत सरकार ("संविदाकारी पक्षकारों") के बीच करार पर हस्ताक्षर करते समय, संविदाकारी पक्षकार निम्नलिखित उपबंधों पर सहमत हुए हैं, जोकि इस करार के अभिन्न अंग हैं:

1. अनुच्छेद 4 के पैराग्राफ 1 के उप पैराग्राफ (च) के संबंध में, यह समझा जाता है कि कम्पनी शब्द में संस्थापन ("एनस्टेलटेन") भी शामिल हैं।
2. अनुच्छेद 5 के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ क के संबंध में, यह समझा जाता है कि करदाता के नाम को उसकी पहचान को परिभाषित करने के लिए प्रदान करना अपेक्षित नहीं है, यदि यह पहचान समकक्ष तत्वों से पता की जा सकती हो।
3. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 5 के संबंध में, यह समझा जाता है कि यह पैराग्राफ उन मामलों में लागू नहीं होता है जहां कर नियम, लागू कर दर सहित, केवल निवास के आधार पर ही भिन्न होते हैं।
4. इस करार में किए गए प्रावधानों के संबंध में या अनुसरण में सूचना के लिए अनुरोध सहित औपचारिक सूचना को निम्नलिखित दिए गए पते पर या समय-समय पर एक संविदाकारी पक्षकार द्वारा अधिसूचित ऐसे किसी अन्य पते पर अन्य संविदाकारी पक्षकार के सक्षम प्राधिकारी को सीधे ही लिखित में दिया जाएगा। सूचना के लिए अनुरोधों के संबंध में बाद की कोई सूचना पूर्व वर्णित सक्षम प्राधिकारी या इसकी प्राधिकृत सत्ताओं के बीच लिखित में होगी, जहां पर सीधे परामर्श की संभावना दी जा रही हो।
5. यद्यपि यह करार 1 अप्रैल, 2013 या इसके बाद शुरू कर वर्षों के संबंध में सूचना के अनुरोधों के लिए ही अनुमत करता है, इस करार में 1 अप्रैल, 2013 से पूर्व तारीख को सृजित या प्राप्त दस्तावेजों या सूचना के आदान-प्रदान का प्रावधान है, जोकि 1 अप्रैल, 2013 को शुरू या इसके बाद कर वर्षों से संबंधित अनुरोध के पहले संगत हैं। ऐसी सूचना का केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है अगर 1 अप्रैल, 2013 को शुरू या इसके बाद कर वर्ष के संबंध में जांच या परीक्षण जारी हो। उदाहरणार्थ:
 - क) यदि 31 मार्च, 2013 के बाद करदाता बैंक संव्यवहार के संबंध में सहायता का अनुरोध है, और इस तरह के दस्तावेज, प्रश्नाधीन खाते के लिए हस्ताक्षर कार्ड को 31 मार्च, 2013 से पहले निष्पादित किया गया था, तो ऐसी स्थिति में, संविदाकारी पक्षकार दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे।
 - ख) जहां पर अनुरोध में न्यास या संस्थापन शामिल हो और इस तरह के दस्तावेज, जैसा भी मामला हो, निपटान डीड या संस्थापन संविधि और/या उपविधियों को 1 अप्रैल, 2013 से पहले निष्पादित किया गया हो, तो संविदाकारी पक्षकार दस्तावेजों का आदान-प्रदान करेंगे।
6. लिचटेंस्टिन और भारत एक दूसरे के राष्ट्रिकों के साथ अभेदमूलक कर करार की धारणा का पूर्णतः समर्थन करते हैं और सहमत होते हैं कि इस करार को देखते हुए, कर पारदर्शिता की कमी पर आधारित भेदमूलक कर करार या कर उद्देश्यों के लिए सूचना का प्रभावी आदान-प्रदान न्यायसंगत नहीं है।

भारत गणराज्य की
सरकार की ओर से
सुश्री चित्रा नारायणन

लिचटेंस्टिन राज्य सरकार की
सरकार की ओर से
स्वीटजरलैंड में भारत के राजदूत

स्वीटजरलैंड में भारत के राजदूत